आवश्यक/तत्काल

संख्या:88/2021/1392012/12-2099/111/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 25 नवम्बर, 2021

विषय: भारत सरकार द्वारा भारत के 75वें स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे ''भारत का अमृत महोत्सव-भारत @75'' के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से 07 दिसम्बर, 2021 तक फसल बीमा/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या: 15016-1/1/2020-क्रेडिट-1-PI (FTS:89323) दिनॉक 07 अप्रैल, 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे ''भारत का अमृत महोत्सव'' अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने, योजना के सम्बन्ध में कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान करने एवं योजना में कृषकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. योजना के सभी हितधारकों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 75 सप्ताह के बनाये गये रणनीतिक कार्ययोजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं:-

(1) 13 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन तिथि के रूप में मनाया जाएगा।

(2) योजनान्तर्गत कृषकों की भागीदारी में तेजी लाने के उद्देश्य से खरीफ मौसम में जुलाई के प्रथम सप्ताह एवं रबी मौसम में दिसम्बर के प्रथम सप्ताह प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। बीमा कम्पनी, बैंक व जनसुविधा केन्द्रों के सहयोग से प्रदेश के चयनित 75 जनपदों के 75 विकास खण्डों में जहॉ पर बीमित कृषकों की संख्या कम है, विशेषकर आकांक्षी व जनजातीय बाहुल्य जनपदों के ब्लॉकों का चयन करते हुए गहन अभियान चलाकर कृषकों की सहभागिता बढ़ायी जाएगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इस अभियान के 75 सप्ताह में 75 किसानों की सफलता की कहानी, प्रति सप्ताह प्रति कृषक की दर से सभी सोशल मीडिया प्लेट-फार्म पर अपलोड किया जाएगा।

(4) भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या: 13017/5/2020-क्रेडिट-1- PI (FTS 94351) दिनॉक 28 अक्टूबर, 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्यों में संचालित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं एवं आकांक्षी जनपद एवं जनजातीय बाहुल्य जनपदों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की कम भागीदारी वाले देश के 75 जनपदों के 75 विकास खण्ड का चयन करते हुए वहॉ पर गहन प्रचार-प्रसार कर कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त चयनित जनपदों में प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपदों के निम्नवत ब्लाक चयन किए गए हैं:-

बहराइच (नवाबगंज), श्रावस्ती (सिरसिया), बलरामपुर (उतरौला), सिद्धार्थनगर (लोटन), फतेहपुर (विजयीपुर), चित्रकूट (रामनगर), सोनभद्र (चतरा), चन्दौली (नौगढ़)

प्रदेश सरकार द्वारा चयनित जनपद एवं ब्लॉक:-

वाराणसी (सेवापुरी), गोरखपुर (कैम्पियरगंज), देवरिया (पथरदेवा)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह चयनित जनपदों के अवशेष ब्लॉकों एवं योजना से आच्छादित अन्य जनपदों में भी मनाया जाएगा।

3. फसल बीमा सप्ताह के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत व्यवस्था की जा रही है:-

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरूरी सन्देश का प्रसारण ऑडियो विज्यूवल और रेडियो के माध्यम से क्षेत्रीय चैनलों पर स्थनीय कम्पेन के रूप में किया जाएगा।

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन व ऑल इण्डिया रेडियो चैनल पर वीडियो क्लिप प्रसारित किए जायेंगे और विभिन्न कार्यक्रम का प्रसार भी किया जाएगा।

(iii) क्षेत्रीय समाचार पत्रों में क्षेत्र के लाभार्थी कृषकों की सफलता की कहानी पर प्रेस-विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी।

(iv) फेसबुक, ट्वीटर इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से ई-संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृषकों की शंकाओं के समाधान को प्रमुखता दी जाएगी।

(v) चयनित जनपदों के प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाने का कार्य मा0 कृषि मंत्री जी द्वारा कृषि निदेशालय से दिनॉक 01 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 10.00 बजे किया जाएगा। इसके पश्चात प्रचार वाहन अपने-अपने जनपदों को रवाना होंगे।

(vi) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 10.00 बजे इस प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाते हुए जनपद के ब्लॉकों/न्याय पंचायतों/ग्राम पंचायतों में निर्धारित रूट के अनुसार प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु रवाना किया जाएगा। अन्य जनपदों के प्रचार-प्रसार वाहन को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11.00 बजे हरी झण्डी दिखाकर जनपद में प्रचार-प्रसार हेतु रवाना करेंगे।

(vii) योजना से सम्बन्धित प्रचार वाहन द्वारा लोकगीत और योजना से संबंधित फिल्म दिखाने के पश्चात पूर्व निर्धारित रूट के अनुसार दूसरे स्थान पर चले जायेंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii) सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक, जनपद के बीमा प्रतिनिधि के सहयोग से प्रचार-प्रसार वाहन के रूट को निर्धारित इस प्रकार करेंगे कि प्रचार-प्रसार अवधि में जनपद के सभी ब्लॉक व न्याय पंचायत कवर हो जायें।

(ix) जनपदों में बैठक/कैम्प का आयोजन किया जाएगा। उप कृषि निदेशक द्वारा तैयार किए जाने वाले क्षण-प्रतिक्षण कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाएगा:-

(क) उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तैयार फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा।

(ग) फसल बीमा पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

(घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर किसानों की शंकाओं का समाधान मौके पर उप कृषि निदेशक/बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

(x) जनपद मुख्यालय पर आयोजित बैठक/कैम्प में जनपद के 05 सर्वाधिक क्षतिपूर्ति पाने वाले बीमित कृषक, सर्वाधिक बीमा करने वाले बैंक शाखा के प्रबन्धक, सर्वाधिक बीमा करने वाले जनसुविधा केन्द्र के प्रतिनिधि एवं योजना के क्रियान्वयन में सराहनीय योगदान करने वाले कृषि विभाग/उद्यान विभाग के कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बीमित कृषकों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें प्रदेश में संचालित दोनों फसल बीमा योजनाओं यथा- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लाभार्थी कृषकों का प्रतिनिधित्व हो, कृषकों में एक महिला कृषक का भी चयन किया जाना है। महिला कृषक की उपलब्धता न होने की स्थिति में पुरूष कृषक का चयन किया जा सकता है एवं अन्य कार्मिकों का चयन जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से किया जाएगा।

(xi) जनपद/विकास खण्ड/न्याय पंचायत पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कृषि विभाग, उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, बैंक के प्रतिनिधि, प्राथमिक सहकारी समिति एवं जनसुविधा केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे एवं इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

(xii) जनपद के सम्बन्धित बीमा कम्पनियों द्वारा जनपद के सभी बैंक शाखाओं, जनसुविधा केन्द्रों पर आयोजन से सम्बन्धित बैनर पोस्टर आदि लगायेगे और आवश्यक मात्रा में पम्पलेट्स, लीफलेट्स आदि उपलब्ध करायेंगे।

(xiii) प्रचार-प्रसार मुख्यतय: कृषकों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने, योजना के प्रति उत्पन्न जिज्ञासाओं के निराकरण करने एवं योजना में बैंकों व जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अधिक से अधिक भागीदारी के निराकरण के लिए प्रेरित करने पर केन्द्रित होगा।

(xiv) प्रचार-प्रसार में ग्राम प्रधान का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। कृषकों के द्वारा उठाये गये जिज्ञासाओं का निराकरण यथासमय तत्काल कराने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही जनपद के 05 सम्मानित कृषकों के ऑडियो/वीडियो बनाया जाएगा एवं उसका उपयोग जनपद में योजना के प्रचार-प्रसार में किया जाएगा। कम्पनी के स्तर से लगाये जाने वाले पोस्टरों में सम्मानित कृषकों के नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं फाटो भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

(xv) अभियान अवधि में बैंक शाखाएं एवं जनसुविधा केन्द्र के अधिकारियों द्वारा कृषकों के पंजीकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(xvi) जनपद में कार्यक्रम स्थल का चयन उप कृषि निदेशक द्वारा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से किया जाएगा। न्यांय पंचायतों का चयन बीमित कृषकों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में किया जाएगा। अन्य न्याय पंचायत को चयनित न्याय पंचायतों से दूरी के हिसाब से

सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद के सम्पूर्ण न्याय पंचायतों में कार्यक्रम लागू किये जायेंगे।

(xvii) जनपद के उप कृषि निदेशक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से प्रचार-प्रसार हेतु अभियान अवधि के कार्यक्रम को निर्धारित करते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा को उपलब्ध करायेंगे एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभियान को सफल बनाने के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(xviii) समस्त कार्यो का सम्पादन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में नामित नोडल अधिकारी, उप कृषि निदेशक द्वारा किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी इस कार्य को समयान्तर्गत सम्पन्न कराने हेतु सहनोडल के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश में आयोजित होने वाले उक्त अभियान की पर्यवेक्षण/समीक्षा शासनादेश संख्या:866/12-2-2019-60(14)/2017, दिनॉक 19 मार्च, 2019 द्वारा जिलाधिकारी की अध्सक्षता में गठित जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति द्वारा किया जाएगा और इसके सफल सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(xix)जनपद/विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम हेतु खर्च की अधिकतम रू. 15000.00 एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कैम्पों पर अधिकतम रू. 5000.00 की सीमा तक खर्च किए जायेंगे। उक्त कार्यक्रम में निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार व्यय बीमा कम्पनी के जनपद स्तर के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

कृपया जनपद स्तर पर निर्धारित कार्य योजना के अनुसार अपने-अपने विभागीय अधिकारियों और राज्य कर्मियों को इस अभियान में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें जिससे इस अभियान के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:88/2021/1392012(1)/12-2-2099/111 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन,
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उ0प्र0,
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,(PMFBY), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,
6. उपायुक्त, क्रेडिट-**II,** भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,

http://shasanadesh.up.gov.in

7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11. विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ,
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूतिखण्ड, लखनऊ,
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सप्रू मार्ग, लखनऊ,
11. संयुक्त कृषि निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश,
12. उप कृषि निदेशक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश,
13. जिला कृषि अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश,
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, पंचम तल, जीवन भवन फेस-2, नवल किशोर रोड,लखनऊ,
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0डी0एफ0सी0. एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि, विधान सभा मार्ग, लखनऊ,
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, 3.गोखले मार्ग, लखनऊ,
17. प्रबन्धक, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,
18. प्रबन्धक, कामन सर्विस सेन्टर (CSC), 2/496, विजयखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ,
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in